कम्प्यूटर परिपत्र संख्या- 1314095 दि० 05-12-2013

पत्र संख्या-स0द0- जॉच व्यवस्था - 2013-14 / 1999 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(सचलदल अनुभाग)

लखनऊ : दिनांक : दिसम्बर: 5, 2013

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर /

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0 अनु0 शा0) /

ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0 अनु0 शा0 / कार्यपालक)

वाणिज्य कर विभाग , उत्तर प्रदेश ।

वर्तमान में सचलदल इकाईयों में कार्यरत अधिकारियों के साथ-साथ कर निर्धारण अधिकारियों को धारा-45 एवं 48 के अन्तर्गत रोड चेकिंग के अधिकार प्रदान किये गये हैं । मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य आयें हैं कि वाहनों की जॉच के समय प्रपत्र प्राप्त किये जातें है । परिवहित किये जा रहे माल की जॉच उपलब्ध प्रपत्रों से की जाती है। वाहन पर लदे माल का भौतिक सत्यापन किया जाता है तथा माल प्रपत्रों / घोषणा के अनुरुप सही पाये जाने पर वाहन को जाने दिया जाता है तथा अनियमितता पाये जाने पर माल का अभिग्रहण करते हुये जमानत आदि जमा करायी जाती है ।

एक बार इस प्रकार की कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर मार्ग में मिलने वाले अन्य सचलदल / कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा वाहन की जॉच किये जाने हेतु वाहनों को रोका जाता है । प्राय: इन इकाईयों के अधिकारियों के संज्ञान में यह तथ्य नही रहता है कि इससे पूर्व वाहन से परिवहित किये जा रहे माल / प्रपत्रों की जॉच हो चुकी है एवं जॉच पर क्या तथ्य पाये गये है । अत: इस संबंध में यह निर्देश दिये जाते है कि वाहन से परिवहित माल / प्रपत्रों की जॉच / प्रपत्रों के संग्रहीत किये जाने पर अनिवार्य रुप से जॉच किये गये प्रपत्रों / बिल / बिल्टी / माल के वजन की पर्ची / घोषणा पत्र यदि कोई हो आदि पर जॉचकर्ता अधिकारी द्वारा अपनी मोहर लगायी जायेगी तथा हस्ताक्षर किये गये जायेगे। मोहरें दो प्रकार की तैयार करायी जाएंगी जिसका प्रारुप क एवं ख निम्नवत है :-

प्रारुप-क

इस प्रपत्र की एक प्रति प्राप्त किया / माल प्रस्तुत प्रपत्रों के विवरणों के अनुरुप है /
ई-संचरण नंबर / ई-पारगमन नंबर सर्वर से चेक किया गया जो प्रपत्रों के अनुसार है/
संबंधित वाहन संख्या- में लदे माल का पूर्ण भौतिक सत्यापन करने
पर माल प्रपत्रों के अनुरुप पाया गया ।

हस्ताक्षर

नाम / पदनाम

स्थान / दिनांक

ms

प्रारुप-ख

वाहन संख्या- में लदे माल की जॉच की गई त्रुटिपूर्ण /
अनियमित माल रु0 के मूल्य पर रु0 जमानत
वसूल की गई ।

हस्ताक्षर
नाम / पदनाम

स्थान / दिनांक

माल के प्रपत्रों के प्राप्त करने / माल प्रपत्रों के विवरणों के अनुरुप / ई-संचरण नंबर / ई-पारगमन नंबर / माल का पूर्ण भौतिक सत्यापन करने पर माल प्रपत्रों के अनुसार पाये जाने पर " **प्रारुप-क** " से संबंधित मोहर प्रपत्रों के फ्रन्ट (अग्र) भाग पर लगायी जायेगी एवं जो अंश संबंधित नहीं होंगे उन्हें काट दिया जायेगा ।

वाहन में लदे माल की जॉच पर पायी गयी त्रुटि के संबंध में " **प्रारुप-ख** " से संबंधित मोहर प्रपत्रों के फ्रन्ट (अग्र) भाग पर लगायी जायेगी ।

कृपया अधीनस्थ अधिकारियों को उपर्युक्त निर्देशों से अवगत कराते हुये निर्देशानुसार उन्हें मुहर तैयार कराने तथा प्रपत्रों पर लगाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें / करायें ।

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।